राजस्थान सरकार

।। कार्यालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

([illegible] सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

अपील संख्या 08/2017

[illegible]
[illegible] मूलचन्द पुरोहित
[illegible], सर्राफा बाजार,
[illegible] पुर

बनाम

प्रत्यर्थी
तहसीलदार भणियाणा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

:: निर्णय ::

दिनांक : 31 जनवरी, 201

[illegible] ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी ने उसके आवेदन दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के द्व [illegible] गई सूचनाएं उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

[illegible] की अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी को इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि आप द्वारा अपीलार्थी [illegible] सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में किन कारण से उसके द्वारा वांछित सूचन उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसका कारण स्पष्ट करें एवं क्यों न इस अपील को स्वीकार करते हुए सूचना के अधिक अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इस अपील का निस्तारण किया जावें। अपीलार्थी को भी सूचित कि गया कि प्रत्यर्थी द्वारा आपको वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में आप यदि कोई तथ्य प्रस्तुत कर चाहे तो प्रस्तुत करें।

03. अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया। जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थ द्वारा चाही गई दिनांक 15.12.2016 को सूचना प्रदत्त कर दी गई है। इस आलोक में अपील में कोई कार्यवाही किय जाना शेष नहीं है एवं अपील पत्रावलित किये जाने योग्य है।

04. अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अस्वीकार कर निस्तारित की जाती है।

05. मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को निर्णय किया गया।

06. निर्णय की प्रतियाँ उभय पक्ष को प्रेषित की जावें।

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर